राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 6) सप्तम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का प्रथम दिवस (संख्या 1

1]. [2

वृहस्पतिवार

दिनांक 17 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 12 34 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सचिव, विधान सभा।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : संसदीय कार्य मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा) अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) अध्यादेश, सन् 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन)(संशोधन)अध्यादेश सन् 1982 को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा।

आचार्य विनोबा भावे,
सरदार हरलाल सिंह जी,
श्री भूराराम जी,
श्री सोहनलाल जी बंसीवाल,
श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा,
श्री राम करण जोशी,

स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे को श्रद्धांजलि

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को अत्यन्त दुःख के साथ आज इस सदन में देश के एक ऐसे महान व्यक्ति के निधन पर शोकाभिव्यक्त करना पड़ रहा है, जो भारतीय

(2)

(श्री शिवचरण माथुर)

क्षितिज पर एक देदीप्यमान तारे की तरह से हमारे बीच में थे और पूरे जीवन जिन्होंने भारतीय जन जीवन पर आदर्श जीवन और आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर एक गहरी छाप छोड़ी।

आचार्य विनोबा भावे हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने अपने जन्म के बहुत थोड़े अरसे के बाद ही महात्मा गांधी के सम्पर्क में आकर अपने जीवन को राष्ट्र सेवा, अध्यात्म और जन-जीवन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आचार्य विनोबा भावे 1916 में गांधी जी के सम्पर्क में आये। उन्होंने उसी समय से देश सेवा का व्रत लेकर उनके आश्रम में रहना प्रारम्भ कर दिया। मामा फड़के ने उनको 'विनोबा' की उपाधि इसलिए दी कि वह प्रारम्भ से ही अध्यात्म की उपलब्धि में और आदर्श जीवन के निर्माण में अपने आप को व्यस्त रखते थे। विनोबा का मतलब महाराष्ट्र की भाषा में महा संत के नाम से जाना जाता है। विनोबा जी ने गांधी जी के आश्रम में रहते हुए समाज के पिछड़े हुए वर्गों, विशेष रूप से हरिजनों के उत्थान में, हरिजनों के मंदिर प्रवेश और शराबबंदी के काम में प्रारम्भ से ही बहुत दिलचस्पी ली।

1938 में बाबा बीमार पड़ गये। उसके बाद उन्होंने पवनार आश्रम में रहना प्रारम्भ किया। तब से मृत्यु पर्यन्त उन्होंने उसको कार्य क्षेत्र बनाया और समाज के अनेक क्षेत्रों में इस देश की सेवा की।

विनोबा जी प्रथम सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया था उसमें गांधी जी ने विनोबा को पहला सत्याग्रही घोषित किया था।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी विनोबा जी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। उसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा। वहां रह कर उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और कई पुस्तकें लिखीं। उर्दू का भी वहां अध्ययन किया।

1951 में आन्ध्र के तेलंगाना क्षेत्र में जब उन्होंने किसानों की स्थिति को देखा तो यह निश्चय किया कि जमीन के आधार पर असमानता को समाप्त करने के लिए भूदान आन्दोलन के माध्यम से जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाई जाये। एक नया और अभिनव प्रयोग आचार्य विनोबा भावे ने हमारे देश में प्रारम्भ किया। उसके बाद उन्होंने सारे देश की पद यात्रा की। वहां से करीब 800 मील चल कर आचार्य विनोबा भावे पण्डित जवाहर लाल नेहरू से मिलने के लिए दिल्ली आये। सारे देश में अलख जगाकर इस बात को साबित किया, सम्भावना इससे और व्यक्ति के हृदय-परिवर्तन के जरिए से बड़े से बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाकर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। 1952 में जब सेवापुरी गांव में सर्वोदय सम्मेलन हुआ था, उस समय सारे देश में 25 लाख एकड़ भूमि के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। विनोबा के प्रयत्नों से बहुत बड़ी तादाद में

(श्री शिवचरण माथुर)

उनको लोगों ने जमीन दी जो कि भूमिहीनों में वितरित की गयी।

1960 में आचार्य विनोबा भावे ने एक और क्रान्तिकारी काम हमारे देश के लिये किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीहड़ इलाकों में, चम्बल घाटी के इलाकों में डाकुओं का एक बहुत बड़ा आतंक था। तीनों प्रदेशों की सरकारें अपने संयुक्त कमाण्ड के बाद भी इन डाकुओं पर एक प्रकार से कब्जा नहीं कर पा रही थीं। सारे क्षेत्र में एक अशान्ति का वातावरण बना हुआ था। उस समय विनोबा भावे ने, डाकुओं का हृदय–परिवर्तन करके उनको आत्म-समर्पण करने के लिये तैयार किया। मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनियां के इतिहास एक अजीब घटना है जब कि इस प्रकार की प्रवृति में विश्वास करने वाले व्यक्ति किसी आध्यात्मिक नेता के विचारों से प्रभावित होकर, समाज में अच्छी प्रवृतियों को अपनायें और अच्छे नागरिक की भांति अपना जीवन व्यवित करने का निश्चय करें। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे निरन्तर पवनार आश्रम में रहे जब-जब देश पर संकट आता था विनोबा भावे जी से सब लोग अपेक्षा करते थे कि वह सही सलाह देशवासियों को दें। वह हमेशा निर्विघ्न रूप से, किसी के दबाव में न आकर सही सलाह, जो देश के लिये उपयोगी होती थी, दिया करते थे।

विनोबा जी ने गीता पर अपना खुद का भाष्य लिखा, कुरान और जितने भी धार्मिक ग्रन्थ हैं उन पर उनका बहुत ही अधिकार था। उनके आश्रम में सर्व-धर्म संभाव्य का एक अनोखा वातावरण देखने को मिलता था। मुझे भी पवनार आश्रम में जाकर के बाबा के दर्शन करने का और उनसे कई समस्याओं पर चर्चा करने का एक बार नहीं दो-तीन बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि वह बिना लाग-लपेट अपनी बात चाहे सरकार को अच्छी लगे या नहीं लगे, को कहा करते थे। उनकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता था। आचार्य विनोबा भावे यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अर्वाचीन भारत में, आज के भारत में, पुराने भारत में जो संतों की परम्परा रही उस संत परम्परा की शृंखला की अद्वितीय कड़ी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे।

सार्वजनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में अच्छे मूल्यों को किस प्रकार से स्वीकार किया जाना चाहिये, उन मूल्यों के आधार पर दृढ़ता के साथ कायम रहने वाली बात को सदैव आचार्य भावे ने अपने जीवन में उतारने की चेष्टा की। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बताये मार्ग पर, उनके पद चिह्नों पर चल कर हम निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन को अपने, राजनैतिक और सामाजिक जीवन को पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं।

आचार्य विनोबा भावे पिछले कुछ दिनों से बीमार हो गये थे। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रकार से मृत्यु को भी अपने कब्जे में कर रखा था। जब उनको दिल का दौरा पड़ा, कुछ दिनों के

(श्री शिवचरण माथुर)

बाद ही दवाई लेना बन्द कर दिया, भोजन प्राप्त करना बन्द कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता था। उन्होंने कोई एक दिन निश्चित कर रखा हो अपनी मृत्यु के लिये भी। मृत्यु जब उन्होंने चाही तब आई और जितने दिन उन्होंने जिन्दा रहना चाहा वह जीये। उनके द्वारा निश्चित, ऐसा प्रतीत होता है, 1 नवम्बर, 1982, जो कि हमारे देश में दीपावली के त्योहार के रूप मनाया जाता है, के दिन उन्होंने स्वयं मृत्यु का वरण किया। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यह शक्ति और प्रेरणा एक लम्बी साधना के आधार पर ही एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।

एक आदर्श पुरुष, एक महान् चिन्तक, महान् साधक, अध्यात्मवादी व्यक्ति आचार्य विनोबा के रूप में हमारे देश से उठ गये हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो बातें आचार्य विनोबा भाव ने देश को दीं, संसार को दी, उन बातों, उद्देश्यों, सिद्धान्तों पर यदि हम चलें, तो निश्चित बात है कि हम अपने देश को महान् बना सकते हैं, स्वयं को महान् बना सकते हैं, व्यक्ति और समाज को महान् बना सकते हैं।

इस अवसर पर मेरी ओर से और सदन की ओर से उस महान् आत्मा के स्वर्गवासी होने पर उनके प्रति, सारे देशवासियों के प्रति, क्योंकि बाबा का तो अपना कोई परिवार नहीं है, संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर बाबा की आत्मा को स्वर्ग में शान्ति प्रदान करे, इसकी कामना करता हुआ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करना चाहता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : सभी को एक साथ श्रद्धांजलि दे दी जाय।

श्री शिवचरण माथुर : विनोबा जी को पहले दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आचार्य विनोबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दीजिये पहले।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने आचार्य विनोबा भावे के प्रति जो शोकाभिव्यक्ति की है, मैं अपने आपको उसमें सम्मलित करता हूं।

आचार्य विनोबा भावे एक विचारक थे, मार्ग प्रदर्शक थे, अपने जीवन को ऐसा बनाकर रखे हुए थे, मन, वचन और कर्म के आधार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक और राजनैतिक हो नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा उनका सम्पूर्ण जीवन परिलक्षित करता था। स्वतंत्रता आन्दोलन में अग्रणी रहे, जितना जीये अपने जीवन को एक नमूने के रूप में सारे देश के सामने रख कर चले गये। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जीवन की एक कसक बाकी रह गई थी उनके दिल में कि देश से गो-हत्या का कलंक मिट जाय। उनके जीवन के मूल्यों का हम अनुसरण करते रहें और उनके जीवन में जो कसक बाकी रही, देश की जनता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

खड़ी होकर उनकी कसक को पूरी कर सके तो शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उस युग पुरुष के विषय में होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी और मेरे दल की ओर से अपनी भावना व्यक्त कर विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित चाहता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आचार्य विनोबा भावे की, हमारे देश की, महान् विभूतियों में और ऐतिहासक पुरुषों में गिनती होगी। मैं नहीं समझता कि यदि हम कुछ आदर्शों का, मूल्यों का कुछ विचार करें, ध्यान करें तो क्या हम विनोबा को मूर्तमान स्वरूप उन आदर्शो और उन मूल्यों का नहीं कहेंगे? मूर्तमान स्वरूप थे। नहीं मालूम, कभी तलाश करे कोई बड़े से बड़ा आलोचक, तो भी शायद यह नहीं कह सकता कि विनोवा यहां से नहीं पूरे उतरे. मैं यह मानता हूं कि आजादी के संघर्ष में जो एक उत्तराधिकार हमको दिया, हमारे राष्ट्र को दिया, जिनका नाम किसी व्यक्ति से नहीं, कुछ भावनाओं से नहीं बल्कि कुछ मूल्यों और आदर्शों से जुड़ा हुआ है उन आदर्शों, उन मूल्यों को देने वाले महान् व्यक्तियों में से वह थे। वह व्यक्ति केवल एक क्षेत्र में नहीं, अभी सदन के नेता ने भी जैसा बताया उनके जीवन की विभिन्न झांकियां उन्होंने थोड़ी बहुत दीं उनको दोहराना मेरा मतलब नहीं है लेकिन मैं यह मानता हूं कि यदि हम सैकड़ों वर्षों के बाद और कई पीढ़ियों के बाद आजादी प्राप्त कर सके, देश की एकता प्राप्त कर सके, देश में जनतंत्र ला सके, देश में एक जो पददलित, जो शोषित, जो उत्पीड़ित वर्ग है उसको उठाने का काम कर सके, उठाने की चेष्टा कर सके तो निश्चित रूप से यह उन्हीं मूल्यों और उन्ही आदर्शों के कारण है। आज हमारे सामने, इस पीढ़ी के सामने भी यह चुनौती है। क्या हम उस आजादी की रक्षा, क्या हम देश की एकता की रक्षा, क्या हम देश के जनतंत्र की रक्षा कर सकेंगे? गांधी जी के दो व्रत थे। एक दफा उन्होंने कहा था कि मैं दो चीजों के लिये जीवित हूं, देश से पूर्ण-रूपेण अस्पृश्यता निवारण हो जाय दूसरे गो-हत्या बन्द हो जाय। यह गांधीजी के स्वयं के शब्द थे। मैं इस मौके पर या किसी मौके पर भी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व या विनोबा भावे के व्यक्तित्व को राजनिति में घसीटना एक महा कलंक और महा पाप की बात मानूंगा, किन्तु मैं यह मानता हूं कि इन दोनों के पीछे गंभीर सामाजिक और राजनैतिक आदर्श यह भी था कि वह लोग ऐसे थे जो जीवन में जो कुछ आदर्श रखते थे उनको चरितार्थ करते थे।

गीता के बारे में और गीता पर अनेकों भाष्य लिखे गये है, अनेकों प्रवचन हुए हैं लेकिन जो प्रवचन आचार्य विनोबा भावे के हैं, कहा जाता है, मैं तो मूल्यांकन नहीं कर सकता, मैं इस स्थिति में नहीं हूं वह सर्वोपरि हैं, वह प्रवचन न लोकमान्य तिलक, न डाक्टर राधाकृष्णन का, न ज्ञानेश्वरी का और न नाना अनेक टीकाकारों का, मैं कोई इसमें कम्पेरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक उनका अध्यात्म था, वह गीता के भी मूर्तमान स्वरूप थे, स्थितप्रज्ञ के मूर्तमान स्वरूप थे।

(श्री राजबहादुर)

स्थितप्रज्ञ कैसा होता है, यह गांधीजी ने बताया लेकिन उसके बाद अगर किसी ने बताया है तो आचार्य विनोबा भावे ने बताया है। मैं यह मानता हूं कि जहां तक तक हमारी जो आज की पीढ़ी है इसमें से कितने लोग इन आदर्शों का पालन कर सकेंगे, मैं नहीं कह सकता लेकिन यह निश्चित बात है कि देश अगर इन आदर्शों को सुरक्षित नहीं रख सका तो आज जो गंभीर स्थितियां पैदा हो रही हैं वह काबू में आने वाली नहीं है।

सबसे बड़ी चीज यह है जब कि विभाजन हुआ देश का और लोगों में एक मतवालापन आया, पागलपन आया, दोनों तरफ बड़ी हिंसा हुई,खून-खराबा हुआ,हमारे इलाके से भी बहुत से, हजारों लोग उखाड़ दिये गये, उस समय मुझे खूब याद है कि वह और सत्येन भाई एक बार भरतपुर आये थे। बहुत कम लोग उनसे मिल पाये थे, मिल सके थे लेकिन उस समय भी वे उन लोगों में से थे गिने-चुने लोगों में थे, उस समय हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात कहना भी खुले रूप से बड़ा एक खतरा हो गया था उस जमाने में वे घूमे-फिर थे। मैं यह जानता हूं कि यह एक मामूली बात नहीं थी कि उनको प्रथम सत्याग्रही माना गया जब इन्डिविजुअल सत्याग्रह आया। यह भी मामूली बात नहीं थी कि नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से गांधीजी के सबसे अच्छे उत्तराधिकारी थे तो विनोबा जी थे।

मैं बहुत विनम्रता के साथ उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो धरोहर हमको सौंप गये हैं, जो कथनी और करनी का भेद वे मिटा गये हैं, आचरण से मिटाने की चेष्टा उन्होंने की है उनके अनुसार हम चलेंगे और चल कर हम कुछ देश को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उनके व्यक्तित्व को राजनीति में जायेंगे।

धन्यवाद।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव किया है उसमें मेरे दल के सभी सदस्यों की भावना सम्मिलित करना चाहूं गा।

श्री विनोबा भावे गांधीवाद के शायद अन्तिम प्रहरी थे। गांधी-दर्शन को उन्होंने गांव-गांव तक फैलाने की कोशिश की, घर-घर ले जाने की कोशिश की और गांधी की इच्छानुसार उन्होंने सत्ता से बाहर रह कर ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन लाने की भी कोशिश की थी। सामाजिक परिवर्तन में जो तनाव पैदा हुए थे उसका भी उन्होंने गांधीवादी उपायों से समाधान करने की कोशिश की थी। साथ ही आज के समाज में जो तनाव का एक नया दौर चालू हो गया है उस दौर को समाप्त करने के लिए उस दौर का सामना करने के लिए शायद विनोबा जी जैसे शान्तिदूत की आवश्यकता थी, यह पूरे देश में महसूस करेंगे।

ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिरशान्ति दे, प्रदान करे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने श्रद्धेय श्री विनोबाजी के प्रति श्रद्धान्जलि

(श्री मेघराज तावड़)

अर्पित की उसमें मैं अपने दल की तरफ से भी सम्मिलित होना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज देश बड़ी विकट परिस्थितियों में है। जो स्वतन्त्रता सैनानी थे, जो जितने पुराने थे, जिनका जीवन एक आदर्श था उस आदर्श को देश के सामने रखने वालों में से अन्तिम विभूति विनोबाजी थे। उन्होंने राजनीति से बाहर रह कर राजनैतिक लड़ाई भी लड़ी, आजादी के लिये जो उन्होंने कुछ किया, उसके बाद देश आजाद होने के बाद भी उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया। सभी तरह की पार्टी उनकी अनुयायी थीं, उनके आदर्श को मानती थीं, उनसे सलाह मशविरा करती थीं।

आज हम यह महसूस करते हैं कि शान्तिदूत, विनोबाजी जैसे संत आज हमारे देश में नहीं रहे। आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी देश को। आज चारों तरफ जब दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं ऐसी स्थिति में न केवल हिन्दुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे शान्तिदूत की आवश्यकता थी। ऐसे मौके पर विनोबाजी नहीं रहे, हम बहुत बड़ी कमी महसूस करते हैं, केवल हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग। इसके साथ गांधीजी के जो आदर्श थे, उनको गरीब लोगों के साथ साथ, गरीब समाज के साथ, शोषण से मुक्त दिलाने के लिये और गांव-गांव पदयात्रा करते, भूदान यज्ञ की जो योजना उनकी थी, उसके अनुसार गरीब लोगों को कुछ मिल सके, जिन लोगों के पास भूमि थी उसको कलेक्ट करके गरीबों में बांटी जाय, गरीबों को आगे उठाया जाये। न केवल चिन्तक-विचारक और आदर्शवादी थे अपितु वह एक सर्व धर्म सम्पन्न व्यक्ति भी थे। ऐसे मौके पर उनका उठ जाना मानव समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धेय विनोबाजी को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री लच्छराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बैठे-बैठे बोल दूं ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति है।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, संत विनोबाजी के देहावसान के बाद हिन्दुस्तान से एक बहुत अच्छे विचारक, महान् संत और एक अद्वितीय मानव, समाज के रत्न को खो दिया है। आज से करीब 20 - 25 साल पहले विनोबा जी झुन्झुनू जिले से पद यात्रा करते हुए झुन्झुनू गये थे तो मोतीलाल कालेज, झुन्झुनू में मैं भी उनके साथ था, बिसाऊ से पिलानी तक गया था तो उन्होंने एक बात कहीं थी कि भई कोई दिल्ली मत जाना और जो दिल्ली चला जायेगा वह वापस नहीं आयगा। उनका कहने का मतलब था कि राजनीति में जाने के बाद समाज सेवा और दूसरी चीजों को स्वच्छ तरीके से करना है और अच्छी विचारधारा जो मानव समाज को देनी है, राजनीति में आने के बाद कुछ दलगत नीति आ जाती है। तो इस प्रकार की विचारधारा संत विनोबा की थी। तो संत विनोबा के जाने से एक संत का, अच्छे विचारक का और अच्छे स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ न्याय, स्वच्छ राजनीति सब प्रकार

(श्री लच्छूराम)

की विचारधारा का एक व्यक्ति हिन्दुस्तान ने खो दिया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अपनी और अपने दल की तरफ से अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आचार्य विनोबा भावे के स्वर्गवास पर सदन के नेता एवं विपक्ष के माननीय नेताओं ने जो शोक व्यक्त किया है, श्रद्धान्जलि अर्पित की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी आचार्य विनोबा भावे ने करीब साढ़े छः दशक तक त्याग, तपस्या व जन-सेवा को समर्पित जीवन जीकर, शरीर के मोह को छोड कर संकल्पित मृत्यु का वरण किया, वह अपने अनुपमेय है।

वह एक मौलिक चिन्तक और विचारक थे। विचारक की कसौटी पर खरा सिद्ध होने के उपरांत ही वह किसी सिद्धान्त व आदर्श के अनुरूप आचरण करते थे। महात्मा गांधी के विचार, सिद्धान्त व आदर्शों के प्रति वह आकर्षित हुये किन्तु उनका का अनुसरण करना तभी स्वीकारा जब उनकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गईं। उसके बाद के उनके जीवन का एक-एक पल स्वतन्त्रता संग्राम, स्वतंत्रता-प्राप्ति व राष्ट्र-निर्माण के इतिहास से इस कदर जुड़ा हुआ रहा कि उनको अलग करके इतिहास को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।

आचार्य विनोबा भावे एक महान कर्मयोगी थे। उन्होंने राजनीति से दूर रह कर व कभी किसी पद-प्रतिष्ठा की आकांक्षा न कर रचनात्मक कार्य को ही अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। दलित, पीड़ित व शोषितों को अन्य वर्गों की तरह आवश्यक सुविधा प्राप्त जीवन जीने का अधिकार दिलाने व उनमें आत्म-विश्वास व शक्ति पैदा करने के महान् कार्य में वे जीवन पर्यन्त रत रहे। तेलंगाना के भूमिपतियों के भूमिहीनों पर अत्याचार ने उनके संवेदनशील मन को 'भूदान यज्ञ'' के लिए प्रवृत्त किया तो विस्थापितों के पुनर्वास में बाधक बने वैयक्तिक स्वार्थों ने उन्हें "कंचन मुक्ति आन्दोलन'' प्रारम्भ करने के लिए बाध्य किया। अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे, राष्ट्र के सभी घटकों में सहकार, सभी वर्गों के कल्याण व हर व्यक्ति के सम्यक विकास के वह पक्षधर थे। इन्हीं आदर्शों के आधार पर उन्होंने "सर्वोदय समाज'' की परि-कल्पना की और उसको मूर्त रूप देने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

शांति व व्यवस्था भी उनकी चिन्ता का विषय रही। साम्प्रदायिक सद्भाव, सौहार्द के लिए उन्होंने शांति-सेना का गठन किया। साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति को जड़-मूल से समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। दस्युओं को समर्पण करने के लिए मानसिक व वैचारिक रूप से तत्पर करने का जो उन्होंने कार्य किया वह दस्यु-उन्मूलन के क्षेत्र में अतुलनीय है।

उनका दृढ़ संकल्प व आत्मानुशासन उन्हें महान ऋषि-मुनियों की पंक्ति में रखे जाने योग्य है। तभी तो स्वयं सूत-कताई से अर्जित राशि से भोजनादि की व्यवस्था करने के उनके संकल्प के परिणामस्वरूप

(श्री अध्यक्ष)

अस्वस्थ हो जाने पर भी बिना किसी विशेष उपचार के वे स्वास्थ्य-लाभ कर पाये, तभी तो राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक की कष्टसाध्य पैदल यात्रा पूरी कर पाये, तभी तो एक वर्ष की दीर्घ अवधि तक मौन व्रत का पालन कर पाये।

वह विभिन्न धर्मों के प्रकाण्ड विद्वान व सोलह भाषाओं के ज्ञाता थे। वह सादा जीवन व उच्च विचारों के प्रतीक थे। उन्होंने 1969 में यद्यपि क्षेत्र-सन्यास ले लिया था किन्तु शायद ही कोई राष्ट्र के कर्णधार और नेता ऐसे होंगे जो उनसे विभिन्न समस्याओं पर परामर्श करने के अभिलाषी न रहे हों।

उनके देहोत्सर्ग ने भारत को महान शांति के खोजी, राष्ट्र के मार्गदर्शक, सहृदय व संवेदनशील विचारक के अस्तित्व से वंचित कर दिया है। हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके गुणों को अंगीकार करें तथा उनके अनुसार आचरण करें। मैं आपकी ओर से और मेरी ओर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को चिर-शांति प्रदान करे और हमारे राष्ट्र को इस महान् घाटे को सहन करने की शक्ति दें।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट तक मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

स्वर्गीय सर्वश्री सरदार हरलाल सिंह, भूराराम, मोहनलाल बंसीलाल, विट्ठल प्रसाद शर्मा व रामकरण जोशी को श्रद्धांजलि

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान इस सदन के कुछ अन्य माननीय सदस्यों को भी हमने खो दिया। उनमें मैं श्री हरलाल जी का पहले जिक्र करना चाहूंगा। सरदार हरलाल सिंह जी को सरदार की उपाधि से एक तरह से विभूषित किया गया। जागीरदारों द्वारा किसानों पर किये जाने वाले अत्याचार के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने किया और जिस नेतृत्व का परिचय दिया उसको लेकर के लोग उनको सरदार कहते थे। सरदार हरलाल सिंह जी झुंझुनू जिले में पैदा हुए और उन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। जयपुर राज प्रजा मण्डल के किसान आन्दोलनों में और आजादी के लिये किये गये सभी अन्दोलनों में चौधरी हरलाल सिंह जी की प्रमुख भूमिका रही है। वे इतने निर्भीक थे कि जिस बात को करने के लिए तय कर लेते थे उसके लिए कितना ही चाहे कष्ट उठाना पड़े, उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। यही कारण है कि कई बार उनको जुल्मों के खिलाफ आन्दोलन करते समय जागीरदारों की मार सहन करनी पड़ी और अनेक कष्टों का उन्होंने सामना किया कई बार वे जेल गये।

चौधरी हरलाल सिंह जी इस सदन के पहली विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक

(श्री लच्छूराम)

लम्बे अरसे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इन सभी पदों पर रह कर के चौधरी साहब ने एक अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी, कुशल नेता और लड़ाकू का परिचय दिया था।

आज वह हमारे बीच नहीं हैं। मुझे मालूम है, उनके देहावसान के पश्चात् जब मैं उनके गांव हनुमानपुरा गया तो न केवल उनके गांव बल्कि उस क्षेत्र की सारी जनता उनको खो करके एक बहुत ही शून्य अनुभव करती थी।

आज उनके स्वर्गवासी होने पर उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुःख को सहन करने की, और उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हुआ उनके प्रति अपनी शोकाभिव्यक्ति प्रकट करना चाहता हूं।

इसी प्रकार एक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी श्री रामकरण जोशी जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। श्री जोशी 1952 से 57 तक जो पहली हमारी विधान सभा थी उसमें लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। उन्होंने जयपुर की जो पुरानी रियासत थी उसमें जितने भी आजादी के लिए आन्दोलन हुए उनमें और अन्य आन्दोलनों में, श्री जमनालाल जी बजाज के नेतृत्व में हुए कई बार सत्याग्रह-आन्दोलनों में भाग लिया। श्री जोशी ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भी जयपुर के आजाद मोर्चा के नेता के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री जोशी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्षों तक सदस्य रहे। उन्होंने राजपूताना प्राविंसियल कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री के पद पर रह कर के एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया। स्वर्गीय जोशी जिला कांग्रेस कमेटी, जयपुर के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 1945 में राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी के संगठन मंत्री तथा आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल कांफ्रेंस के सदस्य भी काफी अर्से तक रहे।

जोशी जी पालीवाल मन्त्रिमंडल, व्यास जी के मंत्रिमण्डल और सुखाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में 1952 से लेकर 1957 तक मंत्री रहे और उन्होंने विभिन्न विभागों का कार्य सम्पादन किया। श्री जोशी लोक सभा के भी सदस्य रहे।

जोशी जी ने "स्वराज" साप्ताहिक पत्र के सम्पादक के रूप में पत्रकारिता में भी अपनी छाप छोड़ी।

जोशी जी का 17 जनवरी, 1983 को दौसा में असामयिक देहावसान हो गया।

जोशी जी के शोक संतप्त परिवार को भगवान इस दुःख का सहने की शक्ति तथा उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे, इसकी मैं कामना करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस सदन के अन्य एक सदस्य स्वर्गीय श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा चौथी विधान सभा

(श्री शिवचरण माथुर)

के लिए अकलेरा निर्वाचन क्षेत्र से व छठी विधान सभा के लिए मनोहरथाना क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। श्री शर्मा का जन्म 11-9-1922 को हुआ। स्वर्गीय श्री शर्मा 1959 तथा 1965 में पंचायत समिति मनोहरथाना के प्रधान भी चुने गए। सन् 1942 में कोटा राज्य प्रजामंडल के वे सदस्य रहे और सन् 1947 से 1965 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। आप जिला कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी के संगठन मंत्री भी रहे। इसके अलावा जिला भारत सेवक समाज के भी वे बहुत समय तक सदस्य रहे। पत्रकारिता तथा काव्य-सृजन में आपकी अभिरुचि व विशिष्ट स्थान रहा है और 'गौरव राजस्थान' काव्य उनका अपना एक प्रकाशन है।

श्री शर्मा का दिनांक 12 जून 1982 को देहावसान हो गया। ईश्वर स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, इस भावना से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सोहनलाल बंशीवाल 1977 में दूदू क्षेत्र से और 1980 में दौसा क्षेत्र से सातवीं विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। श्री बंशीवाल का जन्म 26 जनवरी 1930 को दिल्ली में हुआ। आपने दिल्ली में ही मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की और व्यापार, उद्योग तथा कृषि में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया।

श्री बंशीवाल 1946 से भारतीय वैश्य महासभा के संस्थापक सदस्य रहे। आप सन् 1977 तक दलित वर्ग संघ व हरिजन वैलफेयर बोर्ड के भी सदस्य रहे। इसके अलावा आप राजस्थान विधान सभा की नियम समिति सन् 1980-81, 1982-83 व परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

धार्मिक कार्य में श्री बंशीवाल की बहुत रुचि थी। उन्होंने 'बैरवा भास्कर' का प्रकाशन भी किया।

श्री बंशीवाल 8 नवम्बर, 1982 को हमारे बीच में नहीं रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को परमात्मा उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति दे तथा उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

एक अन्य सदस्य इस सदन के श्री भूराराम सातवीं विधान सभा के लिए पिंडवाड़ा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।

श्री भूराराम का जन्म 3 जून, 1942 को अबहोर तहसील में शियावा गांव में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। वे विद्यार्थी जीवन से सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में अपने क्षेत्र में उभरे और दलित वर्ग के उत्थान का उनका सदैव रुझान रहा। श्री भूराराम आबूरोड क्रय विक्रय सहकारी समिति के 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सिरोही केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक के भी श्री भूराराम सदस्य रहे। आप शियावा ग्राम

(श्री शिवचरण माथुर)

पंचायत के 1978 में सरपंच भी रहे तथा ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवा की। श्री भूराराम सन् 1972-1977 में राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। आप विधान सभा की अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य थे। श्री भूराराम का असामयिक देहावसान, उनकी उम्र बहुत कम थी, 29 सितम्बर, 1982 को हुआ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के मध्य में 5 माननीय सदस्य इस असार संसार को छोड़कर चले गए हैं। मैं उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सरदार हरलालसिंह जी एक शब्द केवल प्रयोग किया जाए उनके लिए, टूट सकते थे झुकते नहीं थे ऐसी परम्परा आपने सारे जीवन-काल में उन्होंने प्रदर्शित की। मैं मेरे दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री राम करणजी जोशी, वह भी पहली विधान सभा के सदस्य थे। प्रसिद्ध समाज सेवी और राजस्थान के लौह पुरुष अपने समय के वह गिने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पश्चात् लगातार समाज-सेवा में वे रत रहे। उनको भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

चतुर्थ एवं छठी विधान सभा के सदस्य श्री विट्ठल प्रसाद जी से मेरा बड़ा निकट का परिचय रहा है। अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए वे सदा जाग्रत रहे व जागरूक रहे। वे लगातार प्रयत्न करते रहे कि उनके क्षेत्र की समस्यायें एक के बाद एक हल होती चली जायं। आज जब मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं मुझे उनके शब्द याद आ रहे हैं, मनोहरथाना सिंचाई परियोजना, जो शायद माही परियोजना के बराबर हो सकती है, के सम्बन्ध में उनके मन में बड़ी इच्छा थी, पूरा प्रयत्न किया जाय उसके सर्वे का। पता नहीं उनके मन की वह भावना कब साकार रूप में परिवर्तित होगी। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते समय यह बात हमारे ध्यान में रहे, हम उस नाते से प्रयत्नशील हों, यह उनके साथ व उनके क्षेत्र के साथ सबसे बड़ा उपयोगी व हित-कारी होगा।

वर्तमान विधान सभा के माननीय सदस्य श्री भूराराम अल्प आयु में ही चले गए। वनवासी भाइयों के प्रति उनके हृदय की जो पीड़ा थी उसका प्रदर्शन और दिग्दर्शन उनकी बात चीत में, उनकी चर्चा में सदा होता रहता था। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सोहनलाल बंशीवाल का जहां नाम याद आता है, पिछली दो विधान सभाओं में तथा सभा क्षेत्र में बहुत प्रत्यक्ष रूप से मुझे उनको देखने का मौका मिला। अखिल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

भारतीय बैरवा महासभा के वह सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे। लगातार एक प्रयत्न उनका रहता था, हरिजन बंधुओं, अनुसूचित जनजाति बंधुओं को कहीं किसी प्रकार आवश्यकता पड़ी, किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ी, दानवीर के रूप में पिछले दो सत्रों में लगातार मैंने उनको देखा है और उनकी यही प्रसिद्धि सर्वदूर लगातार रही है। राजनतिक क्षेत्र में आना और उसके बाद पैसा होना, आदमी प्रसिद्धि के पीछे पड़ जाता है किन्तु प्रसिद्धि परांगमुख के नाते श्री सोहनलाल बंशीवाल का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय रहेगा।

मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को इस प्रकार साहस दे कि इस प्रकार का दुर्दैव जो उनके साथ हुआ उसको सहन कर सके।

मेरे लिए और मेरे दल के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बड़ा अन्याय हो जाएगा सैकड़ों लोग, जो असम में हताहत हो गए उनके प्रति यदि मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूं। शब्द नहीं हैं मेरे पास। जिस स्थिति में आज सैकड़ों लोग वहां मारे जा रहे हैं लगातार पता नहीं किन परिस्थितियों में चुनाव की उस सारी भूमिका में, दावानल में उनको जलाया जा रहा है। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको निश्चित रूप से देना चाहूंगा, इस विषय में इस समय पर माननीय अध्यक्ष मुझे इसकी आज्ञा देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि उन सैकड़ों पुरुषों, जवानों के लिए प्रदर्शित करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं, उनके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं और केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि अब भी समय नहीं बीत गया है, चुनाव स्थगित कराये, यह दावानल न किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मन्त्री): यह जो भाषण दिया गया है यह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

You are off the point. इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया अवसर का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता संग्राम जो देश में हुआ। विशेष रूप से जो दोहरी गुलामी के विरुद्ध देशी रियासतों में हुआ उसके स्वतन्त्रता सेनानी और नेता हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। किन्तु वे एक उत्तराधिकार हमको छोड़ कर जा रहे हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज जब हम याद करते हैं सरदार हरलालसिंहजी की, उनका विशाल व्यक्तित्व, उनकी रोबीली आवाज, उनका एक कॉज को ले लेना, एक मुद्दे को लेना और उसके ऊपर सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना याद भी आता है। वह

(५)

(श्री राजबहादुर)

अपने साथियों के बड़े भारी साथी थे। जिसका साथ दिया बहुत जोरों से दिया और बहादुरी के साथ दिया। हमारी आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई के बाद भारत के निर्माण में उन्होंने काफी योगदान दिया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत समीप का सम्बन्ध था उनसे लेकिन मैं विशेष रूप से श्री रामकरणजी जोशी के बहुत समीप रहा, निकट रहा। मुझे याद है कि जब पहली बार वह खादी के कार्यकर्ता के रूप में भरतपुर शहर में सन् 38–39 में आये थे तो उनसे भेंट हुई थी तब से लेकर उनके जीवन के अन्त तक उनको देखने का मौका मिला। मैं यह कह सकता हूं कि कोई नानुच नहीं थे उनके दिमाग में, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। आजादी के प्रति दीवाना होने का, सामाजिक कल्याण, सामाजिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति का प्रबल समर्थक होने का। मैं यह भी जानता हूं कि सन् 42 के महा आंदोलन, जो देश की आजादी के लिए लड़ा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पोलिटिकल डिपार्टमेंट की एक निश्चित नीति थी कि देशी रजवाड़ों में जल्दी-जल्दी समझौते करो और हो सके तो उस आंदोलन को वहां नहीं फैलने दो। जयपुर में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन रामकरणजी सहज समझौते में आने वाले नहीं थे। इसलिए जो आजाद मोर्चा बना उसमें वह अग्रणी रहे और उनका नाम उस आजाद मोर्चे के नाम से इतिहास में जुड़ गया।

अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से बहुत थोड़े लोग इतिहास में जीवित रहते हैं। आज की पीढ़ी या कल की पीढ़ी, जो चली गयी, में से कितने लोग रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत वर्षों तक जब भी देशी रजवाड़ों की आजादी की लड़ाई की कहानी लिखी जायेगी, तो इन लोगों के नामों को भुलाया नहीं जा सकता। फिर हमने यह देखा कि आजादी की लड़ाई तक, जब तक देश में गुलामी थी, हमारे सामने कुछ मूल्य और मान्यतायें थीं, उसके बाद में हम में से बहुत से उसमें भी खिसक गये, भूल गये, फिसल गये लेकिन मैं यह कह सकता हूं बहुत ही विश्वास के साथ कि श्री रामकरणजी ने उन मूल्यों को निभाने की, उस साथीपन को निभाने की बहुत एक विलक्षण बुद्धि दिखलाई विलक्षण एक चरित्र दिखलाया। मैं उनके चरित्र के पीछे उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने जिस कठिन परिस्थिति में रहते हुए कभी भी यह नहीं सोचा कि जो मार्ग उन्होंने लिया है उसको छोड़ जायं। इसी में परीक्षा होती है। वैसे सम्पदा और सत्ता, यह तो आने-जाने वाली चीज है। लेकिन कौन टिका रह सकता है भीषण विपरीत परिस्थितियों में, इस पर कौन उतरता है खरा। तो मैं यह बहुत ही विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि श्री रामकरणजी खरे उतरे। उनकी याद उनके घर के लोग, उनके मित्र, उनके साथी तो करेंगे ही लेकिन जो निष्पक्ष न्याय करने वाले इतिहासकार होंगे वह भी इस बात को कभी नहीं भुला सकेंगे।

श्री भूरारामजी से और बिठ्ठलप्रसाद शर्मा से मैं बहुत सम्पर्क में नहीं आया लेकिन जो भी शब्द हमारे सदन के नेता और श्री ललितकिशोरजी चतुर्वेदी ने कहे हैं मैं अपने को उसमें सम्मिलित करता हूं और ईश्वर

(श्री राजबहादुर)

से प्रार्थना करता हूं कि चारों-पांचों दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे।

एक मित्र जो सोहनलालजी बंशीवाल हैं उनसे विशेष निकट का परिचय रहा, सम्पर्क रहा। मैं यह कह सकता हूं कि उनका जीवन भी एक उदाहरण है। एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेकर उन्होंने जो उन्नति की मन्जिलें तय कीं और जिस प्रकार से अपने आपको सम्पन्न व्यक्ति बनाया ईमानदारी के तरीकों से कभी सिद्धांत को झुठला कर नहीं, बेईमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी के रास्ते से, वह एक उदाहरण है अपने आप में। मैं उनको भी और पांचों सज्जनों को, जो हमारे बीच में नहीं हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय सरदार हरलालसिंहजी, श्री राम करणजी जोशी, जो कि स्वतन्त्रता सेनानी थे, के प्रति और श्री भूराराम और श्री सोहनलाल बंशीवाल और श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा, जो इस सदन के मैम्बर रह चुके हैं, समाज सेवी थे। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने के लिए हिम्मत प्रदान करे।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जो पुराने सदस्य थे उस सदन और इस सदन के बीच में जिनका स्वर्गवास हो गया सदन के नेता ने जो उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री हरलालसिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे से मेरा कोई ज्यादा परिचय रहा नहीं पर सुना उसके लिये काफी है। मैं उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

श्री राम करण जी जोशी, जो समाज सेवी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, ने समाज और गरीब, सब के लिये बहुत कुछ काम किया। उनको भी मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री विट्ठल प्रसाद जी शर्मा से मेरा कभी कोई परिचय नहीं रहा। या उनसे मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं उनको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सोहनलाल बन्शीवाल, जो इस विधान सभा के सदस्य थे, से मेरा मिलने का मौका मिला, साथ रहे कुछ टाइम। वह गरीबों के दर्द को दिल में लेकर चलते थे, गरीबों के लिये हर वक्त तैयार रहते थे। सीधे स्वभाव के थे। समाज के प्रति समर्पित थे। मैं उनको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री भूराराम जी, जो हमारे इस सदन के सदस्य थे, बहुत कम उम्र के थे। हमारी कमेटी जब माउन्ट आबू गयी थी तब सारी

(श्री मेघराज तावड़)

व्यवस्था की वहां साइट दिखाने और वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी देने थी। वह काफी जागरूक माननीय सदस्या थे। समाज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। गरीब तबके को ऊंचा उठाने, उसका मार्ग-दर्शन करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की उनकी क्षमता थी। वह भी ऐसी कम उम्र में इस संसार में नहीं रहे। मैं श्री भूराराम जी को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री लच्छराम : अध्यक्ष महोदय सरदार हरलालसिंह और राम करण जोशी जयपुर स्टेट के नींव के पत्थर थे, राजस्थान के निर्माता थे। सरदार हरलालसिंह और श्री रामकरण जी जोशी ने उस जमाने में किसानों में काम किया जब राजस्थान में जागीरदारों का जुल्म था, किसानों के ऊपर कितना था शायद आज 40 वर्ष से कम वाले नहीं जानते हैं। श्री सरदार हरलालसिंहजी को सरदार की पदवी दी गयी थी यह सन् 1936 की बात है जब कि हमारे सीकर के अन्दर जाट महायज्ञ हुआ, जिसे किसान महायज्ञ कहो या जाट महायज्ञ कहो, उसमें दी गई थी। वह जयपुर स्टेट के जमाने में झुन्झुनू, सीकर इलाके में वह एक वास्तविक सरदार थे, वह नाम के सरदार नहीं थे। इसी प्रकार से जोशी ने जयपुर जिले में दौसा जयपुर जिले के इर्द गिर्द किसानों में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सरदार हरलालसिंह और रामकरण जी जोशी के उठ जाने से राजस्थान के किसान को जितना नुकसान हुआ शायद उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। सरदार हरलालजी के लिए जितना कुछ कहा जाये मैं वह सब कुछ कम समझता हूं क्योंकि राजस्थान को बनाने वाले इने गिने, दो चार व्यक्तियों में सरदार हरलालसिंह जी का बड़ा योगदान था।

माननीय सदस्य विट्ठल भाई जी शर्मा भूरारामजी, सोहनलाल झंझीवाल, जिन्होंने अपने कर्तव्य का विधान सभा में आ कर पालन किया, आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से यह निवेदन करता हूं कि उनके परिवार वालों को यह दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करे।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय आचार्य विनोबा भावे और सरदार हरलालसिंह, रामकरण जी जोशी, इन महान नेताओं के सम्मपर्क में रहने का मुझे मौका नहीं मिला लेकिन उनके विचारों से समय समय पर अवगत होता रहा उनसे काफी हमने अपने आपको महसूस किया। इसके साथ सदन के नेता और सभी दलों के नेताओं ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि उन महान आत्माओं को असली श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि अधूरे कार्य वे जो हमारे भारतवर्ष में छोड़ गये है उनको हम पूरा करें। तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री विट्ठल प्रसादजी शर्मा को मैं जानता था। वे भी अपनी जवान अवस्था

(श्री रामकुमार बैरवा)

में ही स्वर्गवासी हो गये। उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सोहनलाल जी बंशीवाल वर्तमान विधान सभा के सदस्य थे। वे हमारे बैरवा समाज के आदरणीय अध्यक्ष थे लेकिन समस्त अनुसूचित जातियों और जन जातियों, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, की समस्याओं को सुलझाने में चौबीसों घण्टे उनका मन लगा रहता था। यहां विधान सभा में भी उन्होंने यह भी भाषण दिया था कि चाहे किसी भी पार्टी का राज हो लेकिन हरिजनों की समस्या मूल रूप से अभी सुलझ नहीं पाई है। वे एक धार्मिक विचार धारा के व्यक्ति थे। जहां कहीं भी कोई मंदिर या स्कूल भवन, दवाखाना, कोई भी कुछ भी बनता था तो जो कुछ भी उनसे बन आता वह दान करने में सबसे हमेशा आगे रहते थे। जो स्वर्गवासी हो गये हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और उनके निधन से जो उनके परिवार पर भार आ गया है उसको सहन करने की शक्ति दे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय और अलग अलग पक्ष के नेताओं ने स्वर्गीय श्री हरलाल सिंह जी, रामकरण जी जोशी, सोहनलाल जी बंशीवाल, श्री भूरारामजी, श्री विट्ठल प्रसाद जी को जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

इस सदन के अधिकतर माननीय सदस्य इन सज्जनों के कार्य कलापों और इनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। दो माननीय सदस्य तो हमारी इस विधान सभा के सदस्य थे। श्री सरदार हरलाल सिंह जी और रामकरण जी जोशी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और यूं कहा जाये कि आधुनिक राजस्थान के निर्माताओं में से थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री विट्ठल प्रसाद जी दो बार मेरे साथ भी इस सभा के सदस्य रहे। चाहे वे किसी पार्टी में रहे हों, व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके चुनाव क्षेत्र में भी यह ख्याति थी उनके बारे में कि वे किसी तरह का भेदभाव लेकर नहीं चलते थे और कोई कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ नहीं थे। उनकी विशेष रुचि पंचायती राज, सहकारिता, ग्राम विकास आदि में थी और उस हेतु चाहे किसी भी पार्टी की सरकार होती तो वे खुले रूप से मंत्रियों के पास जाया करते थे और अपने मधुर व्यवहार से वे उनको प्रभावित करते थे। दुःख की बात है कि वे हमारे बीच में आज नहीं रहे।

सरदार हरलाल सिंह जी एक साधारण कृषक परिवार में पैदा हुए। यह कहा जाये कि जन्मजात किसान वे पहले ही नेता थे। जो आज की काश्तकारों की पीढ़ी है वह अपने शैशव काल में थी उस वक्त उन्होंने किसानों द्वारा संचालित प्रथम किसान आन्दोलन शेखावाटी और सीकर के क्षेत्र में किया। उस वक्त हम में से बहुत से जो विद्यार्थी थे, वे जो कुछ करते थे उससे हम लोग प्रेरणा लेते थे। उन्होंने

(18)

(श्री अध्यक्ष)

एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ा। उनमें किसानों और ग्रामीण समाज को संगठित करने की शक्ति थी, उनमें नेता के गुण थे इसीलिए उनको जनता ने सरदार की उपाधि दी थी।

सरदार साहब किसी कालेज या स्कूल में नहीं पढ़े लेकिन आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सरदार साहब बड़ी सूझ-बूझ वाले व्यक्ति थे और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े-बड़े ओहदेदार भी उनकी सूझ-बूझ और उनकी बुद्धि की तारीफ करते थे।

सरदार साहब ने सामंतों के विरुद्ध आन्दोलन में और स्वतंत्रता संग्राम में जितनी यातनायें सहीं उतनी शायद बहुत ही कम लोगों ने राजस्थान में यातनायें सही होंगी। दुर्भाग्य से वे विधान सभा के केवल एक बार ही सदस्य रहे लेकिन उन्होंने राजस्थान के एकीकरण के बाद में कांग्रेस संगठन में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य किया। उनकी सेवाओं को पहचानते हुए राजस्थान कांग्रेस ने उन जैसे बिना पढ़े-लिखे काश्तकार को अपना अध्यक्ष बनाया।

सरदार साहब आर्यसमाजी विचार-धारा के थे इसलिए जाति-पात और नीच-ऊंच के भेदभाव को नहीं मानते थे। पिछड़े वर्ग की उन्नति और महिला शिक्षा में उनकी खास रुचि थी। ग्रामीण विकास के लिये वे आखिर तक संघर्षरत रहे। बड़े दुःख की बात है कि कांग्रेस का और किसानों का एक बहुत बड़ा नेता आज हमारे बीच में नहीं रहा लेकिन उनके कार्यकलापों से नई पीढ़ी भी प्रेरणा लेगी और लेती रहेगी।

मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके हम जो साथी हैं, अनुयायी हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे।

स्व० रामकरण जी जोशी बहुत पुराने प्रजा मण्डल के एक कार्यकर्ता थे। अपनी हिम्मत व संगठन शक्ति के कारण, अपनी त्याग–तपस्या, कुर्बानी और देश भक्ति के कारण वे राजस्थान के अग्रणी नेताओं में से एक माने जाने लगे थे। श्री जोशी जी उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने एकीकृत राजस्थान की कल्पना की और उसको मूर्त रूप दिया। जोशी जी स्वयं एक बहुत ही उच्च कोटि के प्रशासक थे। उनको एक बड़ा दबंग और काबिल व्यक्ति उनके साथी और आम जनता मानती थी। उनका असामयिक निधन हमारे सबके लिए, खास तौर से किसी भी राजनैतिक पार्टी में और किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, उनके लिये दुर्भाग्य की बात है।

उनकी उम्र काफी हो गई थी लेकिन फिर भी इतनी उम्र नहीं हुई थी कि उनका हमारे बीच में से उठ जाना कोई ज्यादा नहीं खटकता हो। जयपुर जो सभाग है, पूर्वी राजस्थान है उसके वे बहुत ही जाने-माने व प्रतिष्ठित एक राजनेता थे। उनका

(श्री अध्यक्ष)

चले जाना हमारे लिए सचमुच बहुत ही दुःख की बात है। जो घाटा उनके जाने से हुआ है वह पूरा होना बहुत मुश्किल होगा।

परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को चिरशान्ति प्रदान करे। हम सबको और उनके परिवार वालों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे।

श्री सोहनलाल जी वंशीलाल और श्री भूराराम जो हमारी इस विधान सभा के सदस्य थे। पिछले सत्र के बाद में उन दोनों का अकस्मात निधन हो गया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वे इस तरह हमारे बीच में से उठकर चले जायेंगे। आप और हम जानते हैं दोनों ही व्यक्ति बहुत मधुर स्वभाव के और सज्जन थे। वंशीवाल जी और भूराराम जी दोनों ही पिछड़े वर्ग के थे। पिछड़े वर्ग के उत्थान में उनकी गहरी रुचि थी।

श्री वंशीवाल जी के बारे में यह कहा जाता था कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति और जरूरतमंद विद्यार्थी उनके पास चला जाता तो उनके पास से निराश नहीं लौटता था। वे रचनात्मक प्रवृत्तियां भी चलाते थे। ईश्वर की कृपा थी कि वे साधन सम्पन्न थे। आप भी जानते हैं कि वे सादे तरीके के कपड़े पहनते थे और सादे से ही व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी ऐशो आराम में अपने साधनों को नहीं लगाया बल्कि समाज सेवा में लगाया जो बहुत बड़ी बात थी। हम सबके लिए बहुत दुःख की बात है कि ऐसा सज्जन व्यक्ति समाज सेवक हमारे बीच में से उठ गया है।

श्री भूराराम जी एक अत्यन्त ही पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। गिरासिया एक जन जाति गिरिजन हैं उनमें से वे थे। साधारण परिवार के थे। सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे और जो सहकारी संस्थाएं हैं उनमें भी उन्होंने काम किया। अपने क्षेत्र के उत्थान के अन्दर रात दिन लगे रहते थे। श्री भूराराम जी की तो आयु भी बहुत कम थी। 1972 से 77 तक की विधान सभा में वे हमारे साथ थे। बड़े सज्जन और मितभाषी व्यक्ति थे। दुःख की बात यह है कि उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र पाई। जो पिछड़ा गिरासिया वर्ग है वह आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में से उठ गया है।

मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि श्री वंशीवाल जी और श्री भूराराम जी की आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को, मित्रों को, हम साथियों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे। यही मेरी प्रार्थना है।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट अपने स्थान पर मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

सदन की कार्यवाही कल 18 फरवरी, 1983 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 1.47 बजे शुक्रवार दिनाक 18 फरवरी, 1983 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

—o—

परिशिष्ट

(महामहिम राज्यपाल श्री ओ. पी. मेहरा का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की सातवीं विधान सभा के इस बजट सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

राज्य के विकास की दिशा में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। देश की महान् नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गत वर्ष जो नया 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था उसकी सफल क्रियान्विति का हमने संकल्प लिया। विकास का मूलभूत आधार तैयार हो तथा उसका लाभ गरीब को मिले इसके लिए जन प्रतिनिधियों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्फत हर सूत्र का जिलेवार और जहां संभव हुआ पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम का नियमित मोनीटरिंग, राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सफलता मिली है और हमारी इस सफलता की सराहना योजना आयोग एवं केन्द्रीय सरकार ने भी की है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की जबाबदेही जन साधारण के प्रति है। अतः जनता की असीम शक्ति के माध्यम से जब तक प्रशासन तन्त्र का संचालन नहीं होता तब तक उसमें गतिशीलता नहीं आती। गांव के लोगों की समस्याओं को गांव में ही निपटा दिया जाय, इस भावना से इस वर्ष "प्रशासन गांवों की ओर" का अभियान चलाया गया है। इससे जनता और प्रशासन दोनों एक दूसरे को समझ कर विकास के काम में भागीदार के रूप में सामने आये हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का कारगर तथा व्यापक हल निकला है और लोगों को काफी राहत मिली है। इसके दूसरे चरण में अदालतों में एक लम्बे अर्से से अनिर्णीत मामलों का तत्परता से फैसला करने के लिए एक अभियान चलाने का प्रस्ताव है।

यह वर्ष मूलतः गरीबों के विकास का वर्ष रहा है। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में, गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाले 1 लाख 42 हजार परिवारों में से 1 लाख 9 हजार परिवारों को जनवरी, 1983 के अंत तक लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से लगभग 40 000 परिवार अनुसूचित जाति के व 17,000 परिवार अनुसूचित जनजाति के है। जो कुल लाभान्वित परिवारों का लगभग 52% है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष उत्थान के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रमशः 44 हजार 500 और 22 हजार परिवारों को भी

(22)

लाभान्वित किया जा चुका है।

यह राज्य निरन्तर कई वर्षों से अकाल की विभीषिका का सामना कर रहा है। संवत् 2038 में राज्य के समस्त 26 जिलों के 23 हजार 246 ग्राम अभावग्रस्त थे। इस वर्ष भी वर्षा देरी से होने, अनियमितवर्षा एवं लम्बे समय तक वर्षा का अभाव रहने से भरतपुर जिले को छोड़कर राज्य के 26 जिलों के 22 हजार 417 अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में 1 करोड़ 69 लाख 57 हजार लोग एवं 2 करोड़ 59 लाख 16 हजार पशुधन प्रभावित हुआ है। सूखे की इस स्थिति से निपटने के लिए अभावग्रस्त जिलों में सहायता कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब तक 3126 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं उन पर 94 हजार 233 श्रमिक कार्यरत थे। प्रभावित लोगों को अधिकाधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु माह फरवरी एवं मार्च, 1983 के प्रत्येक माह में 3 लाख 16 हजार तक लोगों को सहायता कार्यों पर नियोजित किया जा सकेगा।

निरन्तर सूखे के कारण पेयजल उपलब्धि की स्थिति पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिन ग्रामों में पेयजल के स्रोत सूख गये हैं, उनमें आवश्यकता ट्रक टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में जहां कुओं का जल स्तर 150 फीट या अधिक गहरा पहुंच गया है, उनमें पिवाई द्वारा पेयजल की व्यवस्था भी की गई है।

राज्य के पशुधन के संरक्षण हेतु उचित मूल्य चारा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पंचायत समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को परिवहन अनुदान तथा 25 लाख रुपये के बिना ब्याज कर्ज देने का निर्णय लिया गया है। दुधारु एवं उपयोगी पशुओं के संरक्षण हेतु पशु-दाना उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी की गई है।

बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है एवं इसी प्रकार वृद्ध एवं अपंग लोगों के भरण-पोषण हेतु इस वित्तीय वर्ष में नकद अनुदान दिये जाने हेतु 6 लाख रुपये व्यय किये जावेंगे।

राज्य सरकार इस बात के लिये पूर्णतया सजग है कि अकाल राहत के कामों को इस तरह कराया जाय कि उससे लोगों को राहत मिलने के साथ साथ क्षेत्र में विकास का आधारभूत ढांचा मजबूत हो।

अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ 1982 में 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि में बोआई के लक्ष्य के मुकाबले 1 करोड़ 13 लाख 33 हजार हैक्टेयर भूमि में बोआई की जा सकी। इसी साल में खरीफ के अनाज की फसलों के अन्तर्गत बोआई के 61 लाख

50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र तथा खरीफ दलहन के 22 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य के पेटे बोग्राई क्रमशः 57 लाख 61 हजार ग्रौर 19 लाख 54 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में हुई। तथापि खरीफ तिलहन, कपास, गन्ना, गुवांर और ग्रन्य फसलों के ग्रन्तर्गत बुवाई का क्षेत्र-फल 1981-82 की तुलना में क्रमश. में 16.83, 17.10, 10.81, 35.78 व 35.42 प्रतिशत बढ़ा है। लक्ष्य की तुलना में चालू वर्ष में खरीफ के कमक्षेत्र फल में बोग्राई, देर से मानसून आने ग्रौर बाद में वर्षा नहीं होने से ग्रनाज एवं दलहन की पैदावार 34 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 21 लाख 84 हजार टन होने का ग्रनुमान है।

राज्य में रबी फसलें सामान्यतः 55 लाख हैक्टेयर रकबे में बोई जाती हैं। इसकी तुलना में चालू वर्ष में कुल मिलाकर रबी फसलों की बोग्राई लगभग 46 लाख हैक्टेयर भूमि में हुई है। प्रसार प्रणाली के माध्यम से किसानों को भूमि व बीज उपचार, अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज एवं खाद के उपयोग, पानी के किफायतन उपयोग ग्रौर खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देकर रबी के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी करके उपज का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि वर्षा की कमी ग्रौर सिंचाई के लिए पानी कम मिलने के बावजूद खाद के उप-योग में लगभग 24.6 प्रतिशत तथा पौध-संरक्षण की दवाइयों के उपयोग में 75.7 प्रति-शत की बढ़ोत्तरी रही है।

कृषि विकास के लिए प्रमुख ग्रावश्यकता सिंचाई के पानी की है। इस दिशा में राज्य के सीमित जल स्रोतों का समुचित विकास कर ग्रधिक से ग्रधिक सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। छठी पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों, 1980-81 एवं 1981-82 में क्रमशः 35 हजार एवं 38 हजार 500 हैक्टेयर ग्रतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता विभिन्न वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाग्रों से सृजित की गई। चालू वर्ष में 76 हजार हैक्टेयर ग्रतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है जिसमें 46 हजार हैक्टेयर राजस्थान नहर परियोजना से की जायेगी। गत वर्ष की योजनाग्रों के ग्रतिरिक्त इस वर्ष सिद्धमुख, नोहर फीडर तथा साधुवाली लिंक नई योजनाग्रों का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

राज्य में ग्रपेक्षाकृत छोटे किसानों को शीघ्र सिंचाई का लाभ देने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं का बहुत महत्व है। चालू वर्ष में विभिन्न योजनाग्रों के तहत 146 लघु सिंचाई परियोजनाग्रों पर कार्य प्रगति पर है। इनमे से 41 लघु सिंचाई परियोजनाग्रों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिनसे 12 हजार 500 हैक्टेयर ग्रतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इस वर्ष में चल रही सभी बहुउद्देशीय, वृहद्, मध्यम ग्रौर ग्राधुनिकीकरण परि-योजनायें वर्ष 1982-84 में भी चालू रहेंगी।

माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के सहयोग से

(२५)

निर्माणाधीन जल विद्युत् परियोजना है। जून, 1983 में मुख्य बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर बांध में यथेष्ट जल एकत्रित किया जा सकेगा तथा नहरों के प्रथम सैक्टर के कार्य पूर्ण करके रबी 1983 में 24,900 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव होगा।

राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 5 लाख 34 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को 110 प्रतिशत वार्षिक सिंचाई इन्टेन्सिटी की दर से कुल 5 लाख 87 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता निर्मित करनी है, जिसमें से मार्च, 1982 तक 5 लाख 34 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में यह सिंचाई इन्टेन्सिटी प्राप्त कर ली गई थी और इस साल मार्च, 1983 तक 26 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में इन्टेन्सिटी निर्मित करने का लक्ष्य है। पहले चरण में मुख्य नहर का काम पूरा हो चुका है और शाखाओं तथा वितरिकाओं का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शेष कार्य मार्च, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है। दूसरे चरण में मुख्य नहर का काम 256 कि. मी. लम्बाई में और शाखाओं तथा वितरिकाओं का कार्य 3600 कि मी. लम्बाई में किया जाना है। इनमें से दिसम्बर, 1982 तक मुख्य नहर 145 कि. मी. लम्बाई में और वितरिकायें तथा शाखायें 190 कि. मी. लम्बाई में बन चुकी हैं। मार्च, 1982 तक 25 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता की बढ़ोतरी करके कुल 46 हजार हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता करने का लक्ष्य है। सीमेंट, कोयला और धन की कमी के कारण परियोजना का काम सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किये जाने का कार्यक्रम था, किन्तु अब अतिरिक्त संसाधनों के मिलने के फलस्वरूप मुख्य नहर को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करना है और वितरण प्रणाली के शीर्ष भागों को पक्का और बाकी बचे हुए भागों को कच्चा बनाकर लगभग सारे क्षेत्र में सिंचाई देने का कार्यक्रम बनाया गया है।

सतही पानी के उपयोग के साथ-साथ भू-जल का भी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू साल में 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र में कुओं, पम्प सैटों, नलकूपों आदि के माध्यम से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा। इसके अलावा नदियों और दहों से पानी लिफ्ट करके सिंचाई के लिए उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व अन्य जिलों में 32 लिफ्ट सिंचाई योजनायें बनाई गई, जिन्हें किसान खुद चलाते हैं। इस काम के लिये नबार्ड (NABARD) और अन्य बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज दिया जाता है। भू-जल विदोहन के लिए किसानों को नलकूप बनाकर देने के लिये राजस्थान नलकूप निगम का गठन किया जा रहा है।

सिंचाई हेतु, टेक्नोलोजी के क्षेत्र में उदयपुर व डूंगरपुर में एक अभिनव प्रयोग परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है। बिना डीजल या बिजली के हाईड्रम(HYDRAM)

की सहायता से पानी 50 से 100 फुट उठाया जाकर सिंचाई की जा सकती है। ऐसे 5 हाईड्रम लगाये जा चुके हैं व 5 और परीक्षण के बाद चालू किये जायेंगे।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र विकास स्टेज I फेज I व II में वर्ष 1982-83 में 8.24 कि. मी. नहरों को पक्का किया गया है। वर्ष 1983-84 में 14 कि. मी. नहरों को पक्का करने, नहरों के किनारे वृक्षारोपण 1500 रो. कि. मी., सड़कों के किनारे वृक्षारोपण 525 रो. कि. मी., जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण 600 हैक्टेयर व चरागाह विकास कार्य 5000 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 1982-83 में पक्के खालों का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1982 तक 12,244 हैक्टेयर में पूरा किया जा चुका है। वर्ष 1983-84 में 55,750 हैक्टेयर में पक्के खालों के निर्माण का लक्ष्य है। राजस्थान मुख्य नहर के 74 कि. मी. से नीचे क्षेत्र में 2500 हैक्टेयर में कच्चे खालों का निर्माण कर लिया गया है व वर्ष 1983-84 में 20 हजार हैक्टेयर में कच्चे खालों के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पैदा करने के साथ-साथ उपनिवेशन का काम भी गतिशील है राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में चालू वर्ष में 6929 लोगों को 1,04,408 एकड़ भूमि अलाट की गई जिसमें 31.63 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। दूसरे चरण में 245 चेकों में 1 लाख 38 हजार एकड़ जमीन के राजस्व अभिलेख तैयार कर लिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास एकीकृत ग्रामीण विकास के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 198 -82 तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख 49 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा आशा है कि 1982-83 में लगभग 1 लाख 42 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर निर्धन परिवारों की सूचियां तैयार की जाती हैं, ताकि आने वालों वर्षों में उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा सके। 'प्रशासन गांवों की ओर" अभियान में भी आगे के वर्षों के लिये गरीब परिवारों का चयन किया जा रहा है।

ट्राइसम (TRYSEM) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जा कर रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1981-82 तक 31,935 नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 16,060 नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह योजना बेरोजगार एवं अर्द्ध-रोजगार व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आमदनी के जरिये पैदा करने का उपयोगी माध्यम है।

मरु विकास कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य के 11 मरुस्थलीय

जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप कृषि, वन विकास, पशुधन विकास, डेयरी विकास एवं पशुओं के पाने के पानी की व्यवस्था, लघु सिंचाई आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। वर्ष 1982-83 हेतु पहले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित था जिसे बढ़ा कर अब 12 करोड़ 25 लाख रुपया किया गया है।

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम भी एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 1982-83 के पूर्व राज्य के 10 सम्पूर्ण जिलों एवं 3 जिलों की 6 तहसीलों में क्रियान्वित किया जा रहा था। परन्तु इस वर्ष से भारत सरकार के निर्णयानुसार उक्त कार्यक्रम डूंगरपुर व बांसवाड़ा के सम्पूर्ण जिलों एवं अन्य दो जिलों की 6 तहसीलों में ही चलाया जा रहा है। वर्ष 1983-84 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यत: कृषि, लघु सिंचाई, वन, विद्युत कार्यक्रमों पर 2 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

खेती की उपज को बाजार में लाने से पहले किसानों द्वारा या सरकार द्वारा सुरक्षित रखने के लिये भण्डारण की व्यवस्था भी आवश्यक है। इस सिलसिले में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 27 जिलों में से 20 जिलों में 60 भण्डार केन्द्र कार्यरत हैं व निगम की स्व-निर्मित भण्डारण क्षमता दो लाख पांच हजार मै. टन है तथा 2250 मै. टन का एक गोदाम जैसलमेर में इसी वित्तीय वर्ष में तैयार हो जायेगा। वर्ष 1983-84 में 15 स्थानों पर 33,750 मै. टन भण्डारण क्षमता राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत व अन्य स्थानों पर निर्माण करने की योजना है।

किसान की फसल का उसे उचित मूल्य मिले और बिचोलिये उसका शोषण न कर सकें इसके लिए कृषि उपज मण्डियों का भी विकास किया गया है। चालू साल में 132 मुख्य मण्डियां और 220 उप मण्डियां काम कर रही हैं। इस साल के अन्त तक 7 और मण्डी समितियां स्थापित होने की सम्भावना है। नबार्ड द्वारा अब तक मंजूरशुदा 55 मण्डी परियोजनाओं में से 22 मुख्य मण्डियां और 5 उप मण्डियां बन चुकी हैं और 21 मण्डियां जल्द बन कर पूरी हो जायेंगी। मण्डी क्षेत्र में माल की आवक बढ़ाने के लिये गांवों की सम्पर्क सड़कें भी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनवाई जा रही हैं। चालू वर्ष में लगभग 250 किलोमीटर लम्बी पक्की सम्पर्क सड़कें 4 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही हैं।

पर्यावरण सन्तुलन में वन और वनस्पति का सर्वाधिक महत्व है। इस बात को मद्देनजर रखते हुये राज्य में पर्यावरण का एक अलग विभाग गठित किया गया है। प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये एक-तिहाई भू-भाग वनों से आच्छादित हो न

आवश्यक है। राजस्थान में वनों का अनुपात करीब 10.7 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में गत वर्षों में विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत सुनियोजित ढंग से व्यापक वृक्षारोपण के काम लिये गये हैं। चालू साल में 350 लाख पौधों के लक्ष्य से कहीं अधिक करीब 415 लाख पौधे रोपित किये जा चुके हैं। 1700 हैक्टेयर भूमि पर हवाई जहाज द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी परीक्षण के रूप में किया गया है। धौलपुर के रेवाइन क्षेत्रों में इस वृक्षारोपण के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं। वर्ष 1983-84 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत450 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गांवों में ईंधन तथा चारे की आपूर्ति हेतु भारत सरकार की सहायता से चलाई जा रही सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत, जो अब तक राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही थी, इस वर्ष दो और जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के परिवारों के कल्याण एवं उन्हें वृक्षारोपण की ओर आकर्षित करने हेतु गत वर्ष से वृक्षारोपण द्वारा सामाजिक सुरक्षा की योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन में आशातीत सफलता मिली है। वर्ष 1983-84 में इसे और बढ़ाया जायेगा। स्कूली बच्चों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों में पौधशालायें स्थापित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है।

वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्पूर्ण राज्य में वन्य जीवोंके शिकार पर लगभग पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है। वर्तमान दो राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त सरिस्का को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 3 वन्य जीव-अभयारण्य एवं 3 नये शिकार निषिद्ध क्षेत्र और घोषित किये गये हैं। गोडावण पक्षी को रक्षा प्रदान करने तथा लुप्त होने से बचाने हेतु राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं जिसके फलस्वरूप इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहकारी संस्थाओं का योगदान अत्यन्त प्रभावशाली रहा है। सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जा सके। सहकारी वर्ष 1981-82 तक 82 प्रतिशत कृषक ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाया जा चुका था। चालू वर्ष के अन्त तक यह बढ़कर 86 प्रतिशत हो जायेगा तथा वर्ष 1983-84 में यह लक्ष्य 90 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों का है। कृषि उत्पादन हेतु कृषकों को माह जून, 1982 को समाप्त हुये सहकारी वर्ष में 94

करोड़ 78 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया है। चालू सहकारी वर्ष के लिए इसमें 120 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी अवधि में सहकारी बैंकों की 30 नई शाखायें खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

योरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना के तहत मार्च, 1984 तक 3521 गोदामों का निर्माण कराया जाना है। इनमें से एक हजार गोदाम पिछले वर्ष तक बन चुके थे। और एक हजार गोदाम इस वर्ष निर्मित किये जाने का लक्ष्य है।

सहकारी क्षेत्र में एक और स्पिनिंग मिल (आसींद कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. जिला भीलवाड़ा) की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा द्वारा 25 हजार तकुए की क्षमता वाली इकाई शाहपुरा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

पशुधन पर आधारित महत्वाकांक्षी डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष में जयपुर में स्थित 1 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र कार्यशील हो गया है। इसी वर्ष में विजय-नगर, बाड़मेर, डूंगरपुर, नागौर एवं बांसवाड़ा में अवशीतन केन्द्र भी कार्यशील हो गये हैं। वर्ष 1983–84 में फलोदी, फालना, सवाई माधोपुर, नोहर, सूरतगढ़, छतरगढ़ एवं बज्जू अवशीतन केन्द्र व कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा में डेयरी संयंत्र कार्यशील हो जायेंगे। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर एवं अजमेर डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है व वर्ष 1983–84 में यह पूर्ण हो जावेगा। जयपुर में निर्माणाधीन टेट्रापेक डेयरी प्लान्ट 1983–84 में कार्यशील हो जावेगा, जिसके द्वारा ऐसे दूध का उत्पादन किया जावेगा जो कि किसी भी तापमान में लम्बे समय तक रखा जा सकेगा। वर्ष 1982–83 में 100 मै. टन प्रतिदिन क्षमता का एक और पशु आहार संयंत्र जोधपुर में कार्यशील हो गया है। इस प्रकार राज्य में अब पांच पशु आहार संयंत्र कार्यशील हैं।

राज्य में विभिन्न ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सदस्य संख्या वर्ष 1982–83 में 1 लाख 72 हजार होगी जो वर्ष 1983-84 में बढ़कर 2 लाख 7 हजार हो जावेगी। इन समितियों के माध्यम से चालू वर्ष में अधिकतम 4 लाख लीटर औसत दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जावेगा जो वर्ष 1983–84 में बढ़कर 4 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदन हो जावेगा।

इस वर्ष भी वर्षा कम होने से चम्बल के पन विद्युत् जलाशयों में पानी का भराव कम होने तथा राजस्थान अणु-विद्युत्-गृह की पहली इकाई के लगभग एक वर्ष तक बन्द रहने के कारण राज्य में बिजली की कमी लगातार बनी रही है। बिजली की मांग और उपलब्धि के अन्तर को बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरोली तथा उत्तर

प्रदेश से अतिरिक्त बिजली प्राप्त कर, कम से कम रखने की कोशिश की जाती रही है।

बिजली की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कोटा ताप विद्युत् गृह, माही पन विद्युत् परियोजना तथा पंजाब व हरियाणा की साझेदारी में पोंग की छठी व देहर की पांचवीं व छठी इकाई का काम प्रगति पर है। पोंग की पांचवीं इकाई ने सितम्बर, 1982 में में बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। कोटा थर्मल की पहली इकाई ने परीक्षण के दौरान 52 लाख यूनिट बिजली पैदा की। ऐसी आशा है कि जून, 1983 तक इस इकाई से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो जायेगा। कोटा थर्मल के पहले चरण की दूसरी इकाई और दूसरे चरण की 210 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। माही पन विद्युत् परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है। पलाना में थर्मल पावर स्टेशन लगाने के लिए सैण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी द्वारा मंजूरी दे दी गई है और जर्मन जनवादी गणराज्य से भी वांछित प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। कुछ छोटी पन बिजली योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं ताकि इससे भी बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की कोल विद्युत् परियोजना में भागीदारी के लिए समझौता किया जा चुका है जिसके तहत 600 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का होगा। विद्युत् प्रणाली में लाइन लोसेज कम करने व उपभोक्ताओं को निर्धारित वोल्टेज पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 220 के. वी. की लाइनें डाली जा रही हैं, नये सब-स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार कैपेसिटर लगाये जा रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले साल 1500 गांवों के विद्युतीकरण और 25 हजार कुओं के ऊर्जाकरण की तुलना में 1522 गांवों का विद्युतीकरण और 26, 143 कुओं का ऊर्जाकरण किया गया था। वर्ष 1982–83 में बिजली की उपलब्धि की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 1068 गांवों के विद्युतीकरण तथा 10 हजार कुओं के ऊर्जाकरण का यथार्थवादी लक्ष्य रखा गया है जिसके पूरा होने की संभावना है। चालू साल के अन्त तक राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत बढ़कर 49.45 हो जाएगा।

राज्य में वर्ष 1981–82 में 900 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 981 बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया था जिससे राज्य में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या 4243 हो गई थी। चालू साल में भी 900 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिसे पूरा कर लिया जाने की संभावना है।

ऊर्जा के नवीन तथा बार-बार उपयोग में आने वाले स्रोतों के क्षेत्र में समन्वित

प्रयास हेतु राजस्थान राज्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मंडल का गठन किया जा रहा है। इससे राज्य में उपलब्ध पवन एवं सौर ऊर्जा के विदोहन का मार्ग प्रशस्त होगा।

कृषि, उद्योग, पशुपालन एवं ऊर्जा तथा सिंचाई आदि के क्षेत्रों में जो नई तकनालाजी का विकास हो रहा है अथवा वांछनीय है उसके उपयोग एवं विकास हेतु विज्ञान व तकनालाजी परिषद् का भी गठन किया जा रहा है।

राज्य में औद्योगिक विकास व रोजगार के अधिकतम साधन उपलब्ध करवाने एवं उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में सरकार निरन्तर अग्रसर है। चालू वर्ष में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 15 हजार लघु एवं ग्रामीण दस्तकारों के पंजीयन के लक्ष्य के विरुद्ध 14,400 ग्रामीण दस्तकारों व लघु इकाइयों का पंजीयन किया जा चुका है और आशा है कि यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा। अगले साल भी 15 हजार इकाइयों के पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सहायक उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा व चूरू जिले में न्यूक्लियस प्लान्ट स्थापित करने की योजना है व जोधपुर जिले हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात् उसकी क्रियान्विति हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। शेष तीन जिलों के प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि इन्हें भी शीघ्र भारत सरकार से अनुमोदित कराकर क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाएगी।

राज्य में लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्प के विकास एवं प्रोत्साहन, प्रचार एवं विपणन हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को विभिन्न प्रकार के आयातित एवं स्वदेशी माल जैसे मोम, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, लोह, इस्पात, कोक/कोयला वितरित किया जा रहा है। गलीचा उद्योग के विकास हेतु निगम द्वारा 35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष सिरोही जिले में एक टैक्सटाइल यूनिट व एक सीमेन्ट यूनिट ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस जिले में सीमेन्ट निर्माण, वस्त्र उत्पादन एवं मारबल कटिंग इकाइयों के आगामी वर्ष में उत्पादन में आने की आशा है। चालू वर्ष में ही मैसर्स अशोका लीलेण्ड ने भी अलवर में अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 37 आशय-पत्र, 12 औद्योगिक अनुज्ञप्ति व 3 टैक्सटाईल मिल लगाने हेतु परमिट स्वीकृत किये गये हैं। अब तक राज्य में लगभग 213 मध्यम एवं वृहत् औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। यह भी हर्ष का विषय है कि चालू वर्ष में ही भारत सरकार ने सवाई माधोपुर के निकट बिलपा में बाम्बे हाई

गैस पर आधारित खाद के कारखाने की स्थापना हेतु स्थल चयन कर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम ने अब तक 87 आशय पत्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये प्राप्त किये हैं जिनमें से 9 आशय-पत्र चालू वर्ष में ही प्राप्त हुए हैं। संयुक्त क्षेत्र में अब तक 21 इकाइयां उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी हैं और 41 अन्य इकाइयों पर कार्य चल रहा है। निगम की टी. वी. यूनिट ने इस वर्ष जो रंगीन टेलीविजन सैट बनाकर बाजार में उपलब्ध कराया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है।

खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष में खादी का 20 करोड़ 50 लाख रुपये का उत्पादन करने का लक्ष्य है जिससे 1 लाख 61 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। ग्रामोद्योग के तहत 40 करोड़ 45 लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन करके 10,000 अतिरिक्त इकाइयां कायम करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे 1 लाख 30 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इस वर्ष राज्य में 40 खनिज परियोजनाओं पर खोज कार्य किया जा रहा है। सर्वाधिक ध्यान लिग्नाइट (भूरा कोयला) के मेड़ता (नागौर), कपूरड़ी (बाड़मेर) तथा गुड़ा (बीकानेर) क्षेत्र में उपलब्ध भण्डारों की जांच एवं सर्वे पर दिया गया है ताकि इन भण्डारों पर आधारित थर्मल पावर की योजना बनाई जा सके। अब तक की खोज के आधार पर मेड़ता रोड में 2 करोड़ 7 लाख टन तथा कपूरड़ी में 1 करोड़ 70 लाख टन लिग्नाइट के भण्डार मिलने की संभावना बनी है। आगूचा (भीलवाड़ा) में सीसा व जस्ता के 610 लाख टन भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं और उस पर आधारित नये स्मेल्टर संयंत्र लगाने हेतु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बनाई गई परियोजना का कार्य प्रगति पर है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बूंदी क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डारों की खोज हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में कम से कम 3-4 नये सीमेन्ट प्लान्ट लगने की संभावना है।

इस वर्ष झामर कोटड़ा फास्फेट पर आधारित 200 टन के बेनीफिशियेशन प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है व अब तक के परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। राज्य खनिज विकास निगम द्वारा 132 खनन् परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जो वर्ष 1981-82 की तुलना में दुगुना है।

राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध सामान्य बने हुए हैं। पिछले वर्षों की में हड़तालों की संख्या व तालाबंदी के कारण मानव-दिवसों की हानि में कमी हुई है। औद्योगिक विवाद आपसी बातचीत अथवा श्रम विभाग की मध्यस्थता से निपटाने की स्वस्थ परम्परा राजस्थान में पनप रही है जिसके लिए विभिन्न श्रमिक संगठन एवं नियोजक दोनों ही

बधाई के पात्र हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित करके 1 अप्रेल, 1982 से न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं।

लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना के साथ पंचायती राज को गत वर्ष पुन: सक्रिय किया गया। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विकास योजनायें हस्तांतरित की गई। स्थानीय जरूरतों और मांग के अनुसार ये संस्थायें विकास का काम न सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हर पंचायत समिति को दो लाख रुपये का फ्री-फण्ड दिया गया है। मुझे आशा है कि पंचायत राज संस्थायें अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगी।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस वर्ष "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया गया। इसके तहत राजस्व सम्बन्धी लगभग साढ़े पांच लाख मामले मौके पर निपटाये गये। इसके अन्तर्गत अब तक मुख्यत: 81,237 आदमियों को खातेदारी अधिकार दिये गये, 3,43,132 नामान्तरकरण स्वीकार किये गये, 50657 लोगों को जमीन का आवंटन किया गया और 6608 मामलों में नाजायज कब्जे नियमित किये गये। वैसे सम्पूर्ण वर्ष में लगभग 75,000 व्यक्तियों को लगभग दो लाख 29 हजार एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया जिसमें लगभग 48% व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के है, जो स्वयं में एक उपलब्धि है।

इसके अतिरिक्त बैंकिंग संस्थाओं से ऋण दिलाने हेतु 36660 व्यक्तियों को राजस्व अभिलेखों की प्रतियां दी गई व 7552 लोगों को ऋणमुक्ति प्रमाण-पत्र दिये गये। वृद्धों अपाहिजों तथा विधवाओं को पेंशन दिलाने हेतु आवेदन-पत्रों की तस्दीक एवं स्वीकृति करवाकर 20923 को पेंशन दी गई। जनता से प्राप्त 52453 अभाव अभियोग के मामले मौके पर निपटाये गये। 36278 नये आवटियों को सहकारी संस्थाओं की सदस्यता दी गई तथा सीलिंग के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के अन्य प्रयोजन में उपयोग के प्रस्ताव भी तैयार किये गये। ऐसी भूमि जिस पर पानी नहीं पहुंचता व फिर भी कमाण्ड में दर्ज है उसके डी-कमाण्ड किये जाने की कार्यवाही की गई और लगभग 14 हजार एकड़ ऐसी भूमि के मामले तैयार किये गये। सार्वजनिक सुविधाओं यथा स्कूल, औषधालय आदि के लिये भी भूमि आवंटन की गई। छोटे उद्यमियों एवं ग्रामीण काश्तकारों के लाभार्थ 4238 औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन एवं लगभग 79 लाख रुपये के ऋण देने का कार्य भी किया गया। खाद एवं कीटनाशक दवाइयों का भी अभियान के दौरान वितरण किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,21,958 नये परिवारों का चयन कराया गया एवं 14,900 ऋण एवं अनुदान आवेदन-पत्र तैयार

करने का भी काम किया गया। गोबर गैस संयंत्रों हेतु 3411 आवेदन-पत्र तैयार किये गये।

आलोच्य वर्ष में राजस्व विभाग से सम्बन्धित नियमों में संशोधन हेतु किये गये कि प्रक्रिया सरल हो जावे व जनसाधारण को राहत मिल सके। भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि-भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन व नियमितीकरण नियम, 1981 के जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा विशेष अभियान के अन्तर्गत किये गये मौकों के निरीक्षण के फलस्वरूप जो मामले पंजीकृत किये गये हैं, उनके निपटाये जाने की कार्यवाही जारी है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में गैर-खातेदारी अधिकार देने की अवधि में कमी की गई है।

गैर मुमकिन भूमि को विकसित कर काबिल काश्त बनाने वाले अतिक्रमियों के कब्जे सशर्त नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही चरागाहों पर, पंचायतों तथा तहसील भू-आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से, 1970 से पूर्व के कब्जे नियमित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। छोटी जोतों पर भू-राजस्व में दी गई छूट को प्रत्येक कृषि वर्ष की 1 जुलाई को धारित कृषि जोत को आधार मानकर उक्त छूट दी जाने की घोषणा की गई जिससे छोटे कृषकों को यह राहत प्रत्येक वर्ष मिलती रहेगी। राजस्थान भूमि अवाप्ति नियमों में संशोधन कर गैर-खातेदारी की अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान एवं प्रक्रिया का समावेश किया गया है। इसी प्रकार इन नियमों में संशोधन कर समझौते द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया का समावेश किया गया है ताकि अवाप्ति की प्रक्रिया सरल हो और ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। वक्फ सम्पदाओं की देखरेख की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु समस्त सब डिवीजन अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा रहा है ताकि वक्फ सम्पदाओं पर किये गये अतिक्रमण शीघ्रता से हटाये जा सकें।

पेयजल की व्यवस्था करना राज्य की अहम जिम्मेदारी है। अप्रेल, 1980 में राज्य के 19,800 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जानी थी। वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में 6,200 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल का कम से कम एक साधन उपलब्ध करा दिया गया है। चालू वर्ष में 3,200 गांवों में ऐसी व्यवस्था करने का लक्ष्य है और जनवरी, 1983 तक 2400 गांवों में पेयजल व्यवस्था कर दी गई है। राज्य की आवश्यकताओं और काम की प्रगति को देखते हुये भारत सरकार ने भी त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने की व्यवस्था की है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सिर्फ 3 साल की अवधि में हमने लगभग 47% गांवों में इस समस्या का

हल कर दिया है। हमारी इस प्रगति को भारत सरकार एवं योजना आयोग दोनों से सराहना मिली है।

राज्य के सभी नगरों में जल प्रदाय योजनायें पहले से ही चालू है परन्तु नगरों के विकास के कारण बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए सभी बड़े शहरों में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राजस्थान नहर से जोधपुर नगर में व इस हेतु प्रस्तावित नहर के आसपास के गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से जो सीवरेज योजनायें स्वीकृत की गई थीं उन सबमें काम प्रगति पर है।

चालू वर्ष में सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर 10 करोड़ 50 लाख रुपये राज्य योजना में तथा 6 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपये केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय होंगे जिससे 574 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा तथा 1500 से अधिक की आबादी के (1971 की जनसंख्या के अनुसार) 70 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जावेगा। सवाई माधोपुर-श्योपुर (मध्य प्रदेश) राजमार्ग पर चम्बल नदी (पालीघाट) पर पुल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्य में हर नागरिक को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें सुलभ करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम किया जा रहा है। नये बने दो सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू साल में स्थापित किए गए हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 रोगी शय्याओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया, 250 नये उप केन्द्रों की स्थापना की गई और गांवों में चल रहे 25 चिकित्सालयों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया है।

राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले साल लगभग 1 लाख 42 हजार आपरेशन किए गए थे। चालू साल में जनवरी माह तक लगभग 1 लाख 10 हजार आपरेशन किए गए हैं। यह सारा काम आपरेशन करवाने वालों को प्रेरित करके उनकी स्वेच्छा से किया जा रहा है। दूरबीन पद्धति से आपरेशन की मांग को देखते हुए इसके लिए अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लेप्रोस्कोप्स की व्यवस्था की जा रही है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ, क्षय और अन्धापन को रोकने के लिए खासतौर से उपचार के लक्ष्य रखे गये हैं। कुष्ठ रोग के नये केस खोजने और इलाज करने तथा क्षय रोग के नये केसेज का इलाज करने के लक्ष्य पूरे हो जाने की संभावना है। भारतीय चिकित्सा पद्धति भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना समुचित योगदान दे रही है। चिकित्सा को रोगी तक पहुंचाने के लिए जो चल चिकित्सालय गत वर्षों में खोले गये थे

वे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ प्रमुख रोगों के इलाज के लिए गांवों में शिविर लगाने से खास तौर से जनजाति क्षेत्रों में काफी राहत मिली है।

शिक्षा के क्षेत्र में चालू वर्ष भी पर्याप्त विस्तार किया गया है। 232 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 212 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है व विभिन्न माध्यमिक कक्षाओं में 228 नये विषय/वर्ग खोले गए हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निःशुल्क पुस्तकों एवं पोशाक का वितरण किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 3 तक में पढ़ रहे 3 लाख 32 हजार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष 2800 नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों द्वारा 2 लाख 10 हजार प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है तथा दिसम्बर, 1982 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख 14 हजार प्रौढ़ नामांकित हो चुके हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस वर्ष नये विषय/वर्ग विभिन्न महाविद्यालयों में प्रारम्भ किए गये हैं।

शिक्षारत विद्यार्थी सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी परीक्षायें उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्वयं रोजगार करने में सक्षम हों, इसके लिए अध्ययनकाल में ही इस प्रकार की व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी, शिक्षण व प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

इन्जीनियरिंग डिग्रीधारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोटा में एक नया इन्जीनियरिंग कालेज चालू किया गया। इसके अतिरिक्त एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर तथा मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर में 60-60 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गयीं। राज्य में महिलाओं को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में प्रथम महिला पालिटेक्निक संस्थान चालू किया गया। अगले वर्ष भरतपुर व भीलवाड़ा में दो नये पालिटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने का विचार है। महिलाओं को दस्तकारी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए चालू वर्ष में प्रथम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में चालू किया गया। इस वर्ष राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का भी गठन किया गया है।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए स्व-नियोजन (सैल्फ एम्पलायमेन्ट) का बड़ा महत्व है। चालू वर्ष में 43541 आदमियों को स्व-नियोजन हेतु प्रेरित किया गया तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन दिया गया। विदेशों में रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों को शोषण से छुटकारा दिलाने के लिये पृथक् से पंजीकरण व्यवस्था सभी नियोजन कार्यालयों में प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया रही है।

आपको मालूम है कि नवम् एशियाड खेलों के सफल आयोजन के कारण भारत ने विश्व के खेल मानचित्र पर न केवल अपना विशिष्ट स्थान बनाया वरन् अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी अर्जित की है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान ने भी इस सफल संयोजन में सक्रिय योगदान दिया है। नौकायन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें जमवा रामगढ़ में आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में की गई व्यवस्थाओं की सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर न केवल हमने राजस्थान का गौरवशाली घूमर नृत्य दल भेजा वरन् विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनेक राजस्थानियों ने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीते। जिन राजस्थानी खिलाड़ियों ने एशियाड की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता उन्हें एक-एक लाख रुपया व टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 50-50 हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया जायेगा। इसी प्रकार रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25-25 हजार रुपये एवं कांस्य पदक जीतने वालों को दस-दस हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया जायेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि समाज व विशेषतः शिक्षण संस्थानों में खेलकूद की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, पहली बार एक पृथक खेल विभाग सृजित किया गया है। इससे भविष्य में स्पोर्ट्स सम्बन्धी गतिविधियों को सार्थक दिशा मिल सकेगी।

आवासन की बढ़ती हुई समस्या को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करना आवश्यक था। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चालू वर्ष में 12,151 मकान-निर्माण का लक्ष्य था। मुझे आशा है कि वर्ष के अन्त तक लक्ष्य से कहीं अधिक मकान बनाकर आवंटित कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, नगर विकास न्यासों और नगर परिषदों द्वारा भी भू-खण्ड आवंटित करके और मकान बनाकर आवासन की समस्या को हल करने में योगदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत खैरथल, बहरोड़ और भिवाड़ी की विकास योजनायें भी विचाराधीन हैं। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के आवासन की योजनायें लगभग पूरी हो चुकी हैं और इन योजनाओं के पूरी हो जाने से नगर के आवासन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लिमिटेड का भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने में योगदान रहा है। सोसायटी द्वारा 26 हजार मकानों के लिए ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

बड़े नगरों के आसपास कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों की समस्या का भी हल किया जाना आवश्यक है। राज्य के 15 बड़े नगरों में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू किया हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 31,500 लोगों को नल, बिजली, सड़क एवं नाली आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के पेटे लगभग 42 हजार व्यक्तियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राज्य में चल रहे इस कार्यक्रम की

भी योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार दोनों ने बड़ी सराहना की है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख भू-खण्ड इस वर्ष रिहायश के लिए आवंटित करने का और लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह कहते हुये खुशी है कि जनवरी के अन्त तक लगभग 90 हजार भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं और यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

अस्पृश्यता निवारण एवं हरिजनों के उत्थान में पंचायती राज संस्थाओं का सक्रिय योगदान मिले, इसके लिए अच्छा काम करने वाली पंचायतों को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर चयनित करके प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 13 नयी बाल विकास सेवा परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं एवं वर्ष 1983-84 में 16 नयी परियोजनायें स्वीकृत करने का लक्ष्य है। चालू वर्ष के दौरान 2 लाख 35 हजार लाभान्वितों को तथा वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत 3 लाख 35 हजार लाभान्वितों को सेवाएं देने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने के क्रम में पंजीकृत वाहनों की संख्या मार्च, 1982 में 3 लाख 48 हजार से बढ़कर 3 लाख 77 हजार हो गई है। चालू वर्ष में 25 नये मार्ग खोले गये और 29 मार्गों के परमिटों के स्कोप तथा मार्गों की लम्बाई में वृद्धि की गई है।

राज्य के प्रमुख शहरों में यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मिनी बसों को परमिट दिये गये हैं।

संस्कृति के माध्यम से पर्यटन का विकास हमारा लक्ष्य रहा है। पर्यटक राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से आकर जुड़ सकें, इसके लिए विभिन्न मेलों एवं उत्सवों के माध्यम से पर्यटन का विकास किया जा रहा है। पर्यटन सूचना केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ नये पर्यटन साहित्य का मुद्रण और वितरण करवाया जा रहा है। परिणामतः राजस्थान में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। चालू वर्ष में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक आवासगृहों का निर्माण और विद्यमान आवासगृहों की क्षमता में वृद्धि का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैकेज टुअर्स भी चलाये जाते हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे इन प्रयासों को पर्यटन व्यवसाय के संगठनों ने सराहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चीनी, केरोसीन तेल, पाम आइल,

38

नियंत्रित कपड़ा, लेवी सीमेन्ट तथा सोफ्ट एवं हार्ड कोक का वितरण करवाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश चीजें उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की जाती हैं। वर्ष 1982-83 में 2000 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य है, जो पूरा हो जायेगा। इनमें 50 चलती फिरती दुकानें भी होंगी जो दूर दराज के इलाकों में जहां दुकानें खोलना सम्भव नहीं है, वहां लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया करवायेंगी। लक्ष्य पूर्ण होने पर शहरी क्षेत्र में 2500 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3000 यूनिट पर एक दुकान हो जायेगी।

सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी अत्यधिक रुचि ले रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को नकद, भूमि एवं अनुदान प्रदान करती है। भूतपूर्व सैनिकों के स्वयं के रोजगार, आवासन एवं नियोजन हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

चालू साल में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक रही है तथा अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रहा है। राज्य सरकार की इस नीति के अनुसार कि अपराधों का पंजीकरण तत्काल किया जावे इस वर्ष जो पंजीकरण हुआ है वह गत वर्ष की तुलना में 9.78 प्रतिशत अधिक है, तथा गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डकेती तथा नकबजनी जैसे संगीन अपराधों में कमी हुई है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में रही है तथा तनाव की कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी स्थिति सामान्य रही है। छात्रों एवं श्रमिकों द्वारा समय-समय पर विभिन्न मामलों को लेकर आन्दोलन किये गये लेकिन प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई गंभीर घटना नहीं घटी।

डाकू-उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1982 में राजस्थान पुलिस की 24 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 19 डाकू मारे गये, 258 को गिरफ्तार किया गया तथा एक ने आत्म-समर्पण किया।

यह खुशी की बात है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों पर अत्याचार के कोई पूर्व नियोजित मामले घटित नहीं हुए हैं। इसके लिए राज्य के सभी वर्ग बधाई के पात्र हैं। मूलतः सभी मामले व्यक्तिगत रंजिश से हुए हैं और इनमें लगभग 97 प्रतिशत मामलों में चालान पेश किये गये हैं।

राजस्थान पुलिस को सशक्त तथा सक्षम बनाने एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाये गये। कम्प्यूटर यंत्र की स्थापना की जा चुकी है। संचार व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए माउण्ट आबू के गुरुशिखर पर 5600 फीट की ऊंचाई पर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन स्थापित

किया गया है। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की मांग पर विभिन्न जिलों के लिए 55 अतिरिक्त वायरलैस केन्द्रों की स्थापना की गई है।

राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983, राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983, सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983, राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983, राजस्थान पौध रोग तथा नाशिकीट विधेयक, 1983, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983, राजस्थान पासबुक (कृषि जोतें) विधेयक, 1983, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 एवं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन व विधिमान्यकरण) विधेयक, 1983 आपके समक्ष विचारार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न विकास कार्यों व आगामी वर्ष के कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त लेखा-जोखा मैंने आपके सम्मुख रखा है। राजस्थान के बहुमुखी विकास में सरकार के अलावा जनता जनार्दन व जन प्रतिनिधियों का भी भागीदार होना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि जन हित में आप सबके सहयोग से यह सदन राज्य के विकास का सशक्त माध्यम बन सकेगा।

जय हिन्द।